न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौडगढ (राज0)

प्रकरण संख्या– 36 / 2021 प्रार्थना पत्र   निर्णय दिनांकः– 17.06.2021

रामचन्द्र पिता चैनराम जाति मीणा आयु 59 वर्ष निवासी मीणों का मोहल्ला, जावद दरवाजा निम्बाहेड़ा, तह0 निम्बाहेड़ा राज0।

– प्रार्थी

बनाम

1. आशाराम पिता डूँगा जी जाति मीणा आयु व्यस्क निवासी कासोद तह0 निम्बाहेड़ा (राज0)।
2. घनश्याम पिता फुलचन्द जाति मीणा आयु वयस्क निवासी कासोद तह0 .निम्बाहेडा ।
3. मूलचन्द पिता फुलचन्द जाति मीणा आयु वयस्क निवासी कासोद तह0 निम्बाहेड़ा ।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0 रे0 एक्ट

आदेश

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा कासोद प0ह0 निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 169 की आराजी नं0 294 / 602 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, कुल किता 01 कुल रकबा 0.3200 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर को कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिससे कारण प्रार्थी व विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 300 /–रू0 फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि आराजियात वाके मौजा कासोद प0ह0 निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 169 की आराजी नं0 294 / 602 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, कुल किता 01 कुल रकबा 0.3200 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 17.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड़ अधिकारी
निम्बाहेड़ा